निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 209/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मन्दिर ठाकुर जी गोविन्द देव जी विराजमान ग्राम सायपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर शाश्वत नाबालिक जरिये ग्राामवासी भक्तगण सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर –

1. बाबूलाल पुत्र घीसी लाल
2. रूपनारायण पुत्र घीसीलाल
3. कमल पुत्र कन्हैयालाल
4. विकास पुत्र बाबूलाल

समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री विश्वामित्र मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर।

2 रायल सुविधा कोलोनाईजर्स प्रा॰ लि॰ जरिये डायरेक्टर वसीम खान निवासी 2260, तकिया यकिन शाह तोपखाना हुजुरी घाटगेट, जयपुर ।

3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 149/2021 ब उनवानी मन्दिर ठाकुर गोविन्द देव जी बनाम रायल सुविधा कोलोनाईजर्स को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थित:–

1. प्रार्थी नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुनील शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.02.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 149/2021 व उनवानी मन्दिर ठाकुर गोविन्द देव जी बनाम रायल सुविधा कोलोनाईजर्स दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय में पैरवी कर रहे प्रार्थी के अधिवक्ता को तामील कुनिन्दा नोटिस देने गया तब वहां पीठासीन अधिकारी ने भी कहा कि 3 तारीख को आवश्यक रूप से प्रकरण की बहस सुनी जावेगी

जिला कलक्टर
जयपुर

और 3 तारीख को ही स्टे का फैसला कर दियां जावेगा। तब प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त मुकदमें की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, परन्तु आदेशिका की नकल देने से पीठासीन अधिकारी ने इन्कार कर दिया। इसलिए आर्डरशीट की नकल पेश नहीं की जा सकी है। करीब 1.30 पर अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण के पास गांव मे आया और प्रार्थीगण को धमकाते हुये कहा कि मेरी एस डी ओ साहब से बात हो गई है और स्टे खारिज करवा दूंगा और निर्माण कार्य के लिए मौके पर ट्रैक्टर व जेसीबी मशीन इत्यादि लेकर आ गया और जबरन निर्माण कार्य करने लग गया । अप्रार्थी संख्या 2 की राजनैतिक पहुंच है और अप्रार्थी संख्या 2 ने स्वयं यह कहा है की एस डी ओ साहब उसके खास मिलने वाले है। इसलिए प्रार्थी को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नही है। इस कारण यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना आवयक हुआ। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी संख्या 2 रिकार्डेट खातेदार है। पूर्व में मन्दिर माफी का नोट लगा हुआ था जिसे तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा जांच कर हटा दिया गया है। प्रार्थीगण ने मन्दिर माफी की आड में एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है। इसलिए प्रार्थीगण जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करते है और यह मिथ्या कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरीना कर रहे है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से यह पाया गया है कि उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी कर रखा है, इसके बावजूद प्रार्थीगण द्वारा ही यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इससे प्रार्थी की स्थगन आदेश को जारी रखने एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरापों का खण्डन किया है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र कयास के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही माना है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर